न्यायालय :–परमानन्द चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./ 255 /2024 खण्डवा, दिनांक– 10.04.2024

––:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक ::––

मैं, परमानन्द चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, (म.प्र.) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आपराधिक कार्यों के विभाजन संबंधी पूर्व में प्रसारित आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुए, जिला स्थापना खंडवा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांनतरण/पदस्थापना होने से, खंडवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुशांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमांए परिनिश्चित करते हुए, निम्नानुसार नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूं, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खंडवा के अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभाव से **दिनांक 15.04.2024 से प्रभावशील** माना जावेगा।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1.	परमानन्द चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा, म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** आर्थिक अपराधों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिसमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 26–04–2011 की अधिसूचना क्र0 फा. 1–8–8त्र79 –इक्कीस–ब (एक) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शंक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से परामर्श के पश्चात एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र फा. 1–8–79–इक्कीस–ब (1) दिनांक 28 जून 2007 के अनुसार निम्न लिखित अधिनियम के अंतर्गत विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा द्वारा विचारण हेतु अधिकृत किया गया है :– 1–केन्द्रीय एक्साइज एक्ट, 1944 2–विदेशी व्यापार अधिनियम, 1992 , 3–कंपनी अधिनियम, 1956 4–वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957, 5–गिफ्ट टैक्स अधिनियम, 1958 , 6–इन्कम टेक्स एक्ट, 1961 , 7–कस्टम टेक्स एक्ट, 1962, 8–एक्सपोर्ट एक्ट, 1963, 9–कंपनी प्रॉफिट सरटेक्स एक्ट 10– मोनोपॉली व रिस्ट्रेक्टीव एक्ट, 1999 **2.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर : **क–आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, खण्डवा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ (परिवाद प्रकरणों को

			छोड़कर) । **ख–आरक्षी केन्द्र मोघट रोड़** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (परिवाद प्रकरणों को छोड़कर) । **ग–आरक्षी केंद्र यातायात** के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां **3.** म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद (हरसूद व पुनासा को छोडकर)। **4.** वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के (आरक्षी केन्द्र हरसूद, खालवा, किल्लौद नर्मदानगर, मूंदी, मांधाता, को छोडकर) संपूर्ण खण्डवा जिले में प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र **5.** खंडवा जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यथा नहीं है। **6.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, द्वारा समय समय पर अंतरित कार्यवाहियॉ। **7.** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत आवेदन पत्र। **8.** खंडवा जिले के समस्त : 1–म0प्र0 दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958, 2–म0प्र0 बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959, 3–म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 4–खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 5–कारखाना अधिनियम 1948 से उद्भूत प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियॉ। 6–श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियम के आपराधिक प्रकरण। 7– PC & PNDT Act से उद्भूत प्रकरण/परिवाद एवं आपराधिक कार्यवाहिया। 8– खण्डवा क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 9– संपूर्ण खंडवा जिले में सरफेसी एक्ट की धारा 14 से उद्भूत कार्यवाही/आवेदन **9. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक बी/6630/।।।–6–6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित आपराधिक प्रकरण (आरक्षी केंद्र हरसूद, खालवा, किल्लौद, नर्मदानगर, मूंदी, मांधता को छोड़कर) से संबंधित न्यायिक**

			मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। **10.** खंडवा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से प्रस्तुत होने वाले अन्य विविध अधि0 से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं, जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है। **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।**
2.	श्री अभिषेक सोनी, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा, म.प्र. एवं वर्चुअल कोर्ट।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्र.A/1867/III-6-3/57 जबलपुर, दिनांकित 12.04.2023 के अनुसार – (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1989, (ख) रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 से संबधित समस्त प्रकरण एवं आपराधिक कार्यवाहियां। **2.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरणों जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है,को छोड़कर : **1–थाना जी0आर0पी0,खण्डवा एवं** **2–थाना आर0पी0एफ0 खण्डवा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां। **3.**माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **5. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, के मेमो Reg(IT) (SA)/2022/753 Jabalpur Dated 16.06.2022 and मेमो Reg(IT) (SA)/2022/71450 Jabalpur Dated 17-11-2022 एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा का पत्र कमांक 2193/**

			कम्प्यूटर/2022 खंडवा दिनांक 22.06.2022 अनुसार वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही हेतु जिला खंडवा के **समस्त थानों** से उद्भूत मोटरयान अधिनियम से संबंधित अपराध जो कि मात्र अर्थदंड से दंडनीय हो के अपराधों का वर्चुअल कोर्ट में संज्ञान एवं विचारण। **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/ एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।**
3.	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा, म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1. आरक्षी केन्द्र पदमनगर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाहियां**(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों एवं थाना के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण **3.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4. आरक्षी केन्द्र पदमनगर** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त**

			प्रकरणों को छोड़कर।
4.	सुश्री निधि जैन, (जूनियर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा,म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर। **क– महिला पुलिस थाना** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)**समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण **3.**माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4. महिला पुलिस थाना** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।**
5.	श्री उद्याजीत कुंवर राव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1. आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाहियां**(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों एवं थाना के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। **3.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4. आरक्षी केन्द्र छैगांवमाखन** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन

			पत्र पर कार्यवाही। **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 मादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।**
6.	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर : **क– आरक्षी केंद्र पिपलौद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण एवं **थाना मोघट रोड** के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। **3**. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 मादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को**

			छोड़कर।
7.	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा, म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर **क– आरक्षी केंद्र धनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर**)समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद एवं धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण एवं **थाना कोतवाली** के क्षेत्राधिकारी के परिवाद एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। **3.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4.** आरक्षी केन्द्र धनगांव तथा मोघट रोड़ से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04. 2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 मादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।**
8.	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा, म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर **क–आरक्षी केन्द्र पंधाना** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां।

			2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण **3.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4. आरक्षी केन्द्र पंधाना एवं आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।**
9.	सुश्री स्मृति सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा, म.प्र.।	**जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर **क–आरक्षी केन्द्र जावर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** समस्त परिवाद एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के परिवाद धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण । **3.**माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354,**

			354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु सुश्री निधि जैन (जूनियर)न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।
10.	श्री जय प्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद जिला खंडवा, म.प्र.।	**तहसील हरसूद जिला खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर। **क–आरक्षी केन्द्र हरसूद** **ख–आरक्षी केन्द्र किल्लौद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां एवं **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** धारा 138–परक्राम्य लिखत अधिनियम एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, धारा 125, दं0प्र0सं0 एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियॉ। **2.** आरक्षी केन्द्र हरसूद, किल्लौद एवं खालवा के वन विधि, खनन विधि एवं वन्यजीवों से संबंधित प्रकरणों की कार्यवाहियां । **3.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां। **4.** हरसूद, किल्लोद थाना क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। **5.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **6. आरक्षी केन्द्र हरसूद एवं आरक्षी केन्द्र किल्लौद** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही। **7. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक बी/6630/।।।–6–6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केंद्र हरसूद, खालवा, किल्लौद से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण।** **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व**

			निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्रं. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।
11.	श्री महोदव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद, जिला खण्डवा, म.प्र.।	**तहसील हरसूद, जिला खण्डवा म.प्र.**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर : **क–आरक्षी केन्द्र खालवा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां एवं **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)**, एवं विविध अधिनियम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, धारा 125, दं0प्र0सं0 एवं उससे उद्भूत अनुषांगिक कार्यवाहियॉ। **2.** आरक्षी केन्द्र खालवा के क्षेत्राधिकार के परिवाद धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम एवं आपराधिक परिवाद की कार्यवाहियां। 3.खालवा थाना क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। **3.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **4.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्री जयप्रताप चिड़ार न्यायिक**

			मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदनामित होने से, उक्त प्रकरणों को छोड़कर।
12.	श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा जिला खंडवा, म.प्र.।	**तहसील पुनासा, जिला खण्डवा म.प्र.।**	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर। **क–आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर** **ख–आरक्षी केन्द्र मूंदी** के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां। **3. आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं मूंदी** के क्षेत्राधिकार मे व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। **4.** वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के पुनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित प्रकरण **5.** माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **6. आरक्षी केन्द्र नर्मदानगर एवं आरक्षी केन्द्र मूंदी** से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **7. माननीय "मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक बी/6630/।।।–6–6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केंद्र नर्मदानगर एवं मूंदी से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण।** **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं ध**

			ारेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।
13.	श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **श्रृंखला न्यायालय** मांधाता(औंकारेश्वर) जिला खण्डवा म.प्र.।	**श्रृंखला न्यायालय** मांधाता(औंकारेश्वर)।	**1.** ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोडकर एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोड़कर **क–आरक्षी केन्द्र मांधाता(श्रंखृला न्यायालय ओंकारेश्वर)** के सीमा क्षेत्र के समस्त आपराधिक प्रकरण **(मोटरयान अधिनियम के ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि 10,000/–रूपये से अधिक हो को छोडकर)** एवं कार्यवाहियां। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित आपराधिक परिवाद एवं आबकारी विभाग के परिवाद की कार्यवाहियां। **3. आरक्षी केन्द्र मांधाता** के क्षेत्राधिकार मे व्युत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण (वन विधि, खनन विधि एवं वन्य जीवों से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए), **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान एवं विचारण। **4.** वनविधि, खनन विधि, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, के पुनासा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित प्रकरण **5.**माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला खण्डवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण। **6.** उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 52(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कार्यवाही **7. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन कमांक बी/6630/।।।–6–6/ 18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में आरक्षी केंद्र मांधाता (ओंकारेश्वर) से उद्भूत भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण।** **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र. का विविध आदेश क्र. 34/एक–10–1/1996, दिनांक 06.04.2024 अनुसार मुख्यालय खंडवा हेतु महिलाओं के**

			विरूद्ध अपराध से संबंधित विचारण योग्य प्रकरण धारा–494, 495, 496, 498–ए, 354, 354–ए, 354–बी, 509 भादंसं. आदि एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई।

<u>आवश्यक टीपः–</u>

1– जिला पूर्व निमाड खण्डवा में माननीय अतिथियों के प्रोटोकॉल की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन पर श्री प्रियंक भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा, श्री उद्याजीत कुंवर राव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खंडवा, श्री अभिषेक सोनी स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खंडवा के द्वारा देखी जा सकेगी।

2– लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएगे जिनके संबंध में उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक में संबंधित आरक्षी केंद का क्षेत्राधिकार दिया गया है।

3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा के द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में थाना मोघट रोड़ से संबंधित जारी स्थायी वारंट का निराकरण श्री जगत प्रताप अटल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी खंडवा एवं थाना सिटी कोतवाली से संबंधित जारी स्थायी वारंट का निराकरण सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.मजि.प्र. श्रेणी के द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने की दशा में अन्य आदेश होने तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उनका कार्य सम्पादित किया जाता था।

4– तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण आवेदन पत्र उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे जिनके समक्ष वर्तमान में संबंधित आरक्षी केंद्र आबंटित किया गया है। **यदि जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित आरक्षी केंद्र की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है या पुलिस अधीक्षक या अन्य माध्यम से तामीली हेतु भेजा गया है, तो ऐसी दशा में भादवि या अन्य अधिनियम से संबंधित जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट में जिला मुख्यालय खंडवा में कार्यवाही श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित जारी वारंट में कार्यवाही श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित की जावेगी तथा तहसील न्यायालय हरसूद में श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, हरसूद एवं तहसील न्यायालय पुनासा/मांधाता में श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी, पुनासा द्वारा संपादित की जावेगी**। यदि पीठासीन अधिकारी की व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड से वरिष्ठ खंड में पदोन्नत हुई और वर्तमान में वह उसी स्थापना पर पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी।

5– तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन

अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड, रिमांड प्रकरण या आदेश जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से संबंधित है उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाहियां तथा उन प्रकरणों में राशि की वसूली, प्रतिकर की राशि प्रदान करने, जमानत राशि प्रदान करने, जमानत निरस्त करने संबंधी समस्त कार्यवाहियां उन मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जाएगी जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केंद्र आता है, या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है। यदि पीठासीन अधिकारी की व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड से वरिष्ठ खंड में पदोन्नत हुई और वर्तमान में वह उसी स्थापना पर पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी।

6— तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपील, पुनरीक्षण या रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, जमानत निरस्त करने संबंधी कार्यवाही जिसमें आरक्षी केंद्र स्पष्ट नहीं हो रहा हो के संबंध में खंडवा न्यायालय में **श्रीमती ज्योति टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** खंडवा एवं तहसील हरसूद न्यायालय में **श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** एवं तहसील पुनासा तथा श्रृंखला न्यायालय मांधाता (ओंकारेश्वर) न्यायालय में **श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा/ मांधाता (ओंकारेश्वर)** के द्वारा संपादित की जावेगी।

7— जिन अधिनियमों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की प्रस्तुति एवं विचारण की व्यवस्था का उल्लेख पूर्व में नहीं हुआ है, तब उन अधिनियमों के अंतर्गत अभियोग पत्र (अंतिम प्रतिवेदन) संबंधित विभाग के द्वारा जहां क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद हो, ऐसे प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।

8— पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निराकृत प्रकरणों में सजा पश्चात प्राप्त सजा वारंट संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा यदि प्राप्त सजा वारंट पर आरक्षी केंद उल्लेखित नहीं है तब ऐसी दशा में विधिवत निराकरण **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा** के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

9— पेमेंट एवं सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण जिस आरक्षी केंद्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं उसी तरह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट संबंधित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।

10— पूरक (सप्लीमेंट्री) चालान, उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जिस न्यायालय के समक्ष लंबित/निराकृत हुआ है यदि उक्त पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ नहीं है, तब ऐसी दशा में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे तथा यदि उक्त प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर माननीय सत्र न्यायाधीश खंडवा की ओर उपार्पित (commit) किया जाकर भेजा जा चुका है तब ऐसी दशा में उपार्पित किए जाने वाले न्यायालय के समक्ष एवं अन्य दशा में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

11— ट्रांजिट वारंट हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कार्य संबंधित आरक्षी केंद्र से

क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

12— उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण कालम नंबर 4 में वर्णित कार्य के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरणों/ कार्यवाहियों की जांच विचारण करेंगें जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा द्वारा अंतरित की गयी हो एवं सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला खंडवा द्वारा जिले के अन्य थानों में दर्ज अपराध (जिसमें **एस.सी.एस.टी. एक्ट** की धारा पंजीबद्ध हो) की आवश्यक कार्यवाही तथा प्रथम रिमांड आदि प्रस्तुत होने पर उसे भी संपादित किया जावेगा।

13— प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोगपत्र नहीं लेंगे, जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, खण्डवा को प्राप्त है।

14— ग्राम न्यायाधिकारी खंडवा का पद रिक्त होने से ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में जारी जमानती/गिरफ्तारी/स्थाई गिरफ्तारी वारंट या समर्पण आवेदन अथवा आवश्यक प्रकृति के आवेदन पत्र श्री उद्याजीत कुंवर राव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम न्यायाधिकारी के रूप में पीठासीन अधिकारी का नाम अधिसूचित होने पर अधिसूचित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।

15— संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन **(Final Report)** स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जावेंगे, परंतु पूर्व निमाड़ खण्डवा जिले के समस्त थाना क्षेत्र के प्रकरण समाप्ति रिपोर्ट **(Expunge Report)** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगी।

16— वर्चुअल कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में यदि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार नहीं किया जाता है तो उक्त प्रकरण का विचारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन या आदेश इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं होगा।

17— न्यायिक अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उसकी धारा 176 दं0प्र0सं0 के अधनी जांच मृतक जिस थाने के अपराध में निरोध में था, उस थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र में मृत्यु होने की दशा में उसकी धारा 176 दं0प्र0सं0 के तहत जांच निम्नांकित मजिस्ट्रेट संपन्न करेंगे—

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	अप्रैल, मई
2	सुश्री निधि जैन(जूनियर), न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	जून, जुलाई
3	श्रीमती ज्याति सिंह टेकाम, न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	अगस्त, सितम्बर
4	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना ,न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	अक्टूबर, नवम्बर
5	श्रीमती स्मृति सोनी,न्या.म.प्र.श्रेणी खण्डवा	दिसंबर

18— न्यायिक अधिकारी जो कि माह में न्यायिक जांच हेतु अधिकृत है, वे यदि मुख्यालय

से बाहर है या अवकाश पर है या अन्य किसी कारण से न्यायिक जांच करने में असमर्थ हो तो **अनुसूची कं.–1** के अनुसार न्यायिक जांच हेतु प्रभार रहेगा। धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत् कार्यवाही अविलंब संपादित कर प्रतिवेदन यथादेशानुसार प्रस्तुत करेंगे।

19– प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, खण्डवा की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने व सदस्यों की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा को छोडकर किशोर न्याय बोर्ड खण्डवा के समस्त कार्य उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किये जावेंगे।

20– यदि किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले पद उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी का नाम उक्त आदेश में पढ़ा जाये।

21– अनुसूची कमांक **'1'** एवं अनुसूची कमांक **'2'** कार्य विभाजन पत्रक का अभिन्न अंग रहेगा।

22– इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम, अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

23– इस कार्य विभाजन पत्रक का पूर्व से लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10/01/24
(परमानन्द चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)

अनुमोदित।

Principal District & Sessions Judge
East Nimar, Khandwa (M.P.)

न्यायालय :–परमानन्द चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला, खण्डवा (म0प्र0)

––::अनुसूची कमांक "1"::––

जिला न्यायालय पूर्व निमाड़, खण्डवा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर अनुसूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट सूची के अनुसार अति आवश्यक न्यायालयीन कार्य संपादित करेंगे, अति आवश्यक में ऐसे समस्त मामले भी शामिल हैं, जिसमें संक्षिप्त प्रकिया के द्वारा अपराध की स्वीकृति होना हो तथा प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के दांडिक प्रकरणें का संज्ञान लिए जाने का कार्य शामिल हो। अति आवश्यक कार्य में वे प्रकरण शामिल नहीं होगे, जो पहले से ही किसी न्यायालय में लंबित हो। **"अनुसूची कमांक 1"** में उल्लेखित किसी भी वर्ग के प्रभारी न्यायालय का पद कम समाप्त होने पर आगे का प्रभार तत्पश्चात अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के न्यायालय से तथा प्रभार समाप्त होने पर पुनः कमांक 1 से प्रारंभ माना जावेगा।"

कं.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
1.	परमानन्द चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा	सुश्री ज्योति सिंह टेकाम, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री निधि जैन न्या. म.प्र.श्रे.खंडवा	श्री उद्याजीत कुंवर राव, न्या.म.प्र. श्रे.खंडवा
2.	श्री अभिषेक सोनी, विशिष्ट रेल्वे मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना,न्या.म.प्र. श्रे.खंडवा
3.	सुश्री ज्योति सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री उद्याजीत कुंवर राव, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.म.प्र. श्रे.खंडवा	सुश्री निधि जैन,न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा
4.	सुश्री निधि जैन (जूनियर), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	सुश्री ज्योति सिंह टेकाम, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म. प्र.श्रे.खंडवा
5.	श्री उद्याजीत कुंवर राव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री जगत प्रताप अटल,न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	सुश्री स्मृति सोनी, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा
6.	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	सुश्री स्मृति सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा
7.	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री स्मृति सोनी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
8	श्री रविशंकर भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल,न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा
9.	सुश्री स्मृति सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा	श्री रविशंकर भलावी,न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री निधि जैन, न्या. म.प्र.श्रे.खंडवा	श्री उद्याजीत कुंवर राव, न्या.म.प्र. श्रे.खंडवा
10.	श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील पुनासा एवं श्रंखृला न्यायालय मांधाता	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री निधि जैन, न्या. म.प्र.श्रे.खंडवा	श्री उद्याजीत सिंह राव, न्या.म..प्र.श्रे. खंडवा

	(ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा पर कार्यरत होने पर			
11.	श्री जय प्रताप चिड़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद	श्री महादेव पटेल न्या. म.प्र.श्रे.तहसील हरसूद	श्री रविशंकर भलावी, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा
12.	श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद	श्री जय प्रताप चिड़ार, न्या.म.प्र.श्रे.तहसील हरसूद	श्री जगत प्रताप अटल,न्या.म.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री निधि जैन, न्या.म.प्र.श्रे.खंडवा

आवश्यक टीप :–

1. विशिष्ट रेल्वे मजिस्ट्रेट अपने भ्रमण कार्यक्रम (चलित न्यायालय) की पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, खंडवा को देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगें कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जायंगे, जिसमें वे मुख्यालय पर उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं गुरूवार को मुख्यालय पर उपस्थित होकर नियमित न्यायालयीन कार्य सम्पादित करेंगे ।

2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खण्डवा को सूचित कर पूर्व निमाड़,खंडवा (म0प्र0) में चलित न्यायालय लगाई जा सकेगी तथा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विचारण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाई जा सकेगी।

3. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने और उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पदस्थापना न होने के कारण रिक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित थाने से उत्पन्न समस्त नवीन आपराधिक प्रकरण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण अन्य आदेश होने तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जिनके द्वारा संबंधित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उनका कार्य सम्पादित किया जाता था।

4. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले ऐसे संक्षिप्त विचारण के प्रकरण जिनमें अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाता है और सुपुर्दनामा आवेदन पत्र **(जिसमें ग्राम न्यायालय से संबंधित अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्र भी शामिल है)**संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय के नाम से पंजीबद्ध किये जायेंगे। सुपुर्दगी आवेदन निराकृत उपरांत परिणाम दर्ज कर पत्रावली संबंधित न्यायालय में मूल प्रकरण में संलग्नार्थ भेजी जाए।

अनुमोदित!

Principal District and Sessions Judge
East Nimar, Khandwa (M.P.)

(परमानन्द चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

——:: अनुसूची कमांक "2" ::——
//धारा 164 द.प्र.सं. कथन हेतु प्रभार//

नोट कमांक 01:— (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर) शेष अपराधों के संबंध में धारा 164 दंप्रसं के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:—

कं.	आरक्षी केंद्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1.	कोतवाली/धनगांव	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र. श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
2.	मोघट रोड/अजाक/जावर	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी,न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
3.	पदमनगर/छैगांवमाखन	सुश्री स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
4.	पंधाना /जी.आर. पी/महिला पुलिस थाना	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल,न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र. श्रे. खंडवा
5.	पिपलौद/मांधाता	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी ,न्यायिक मजि. प्र.श्रे. खंडवा
6.	नर्मदानगर /मुंदी	सुश्री निधि जैन, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी,न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल,न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
7.	आबकारी वृत्त/खण्डवा यातायात/ वन परिक्षेत्र खण्डवा /श्रम विभाग खण्डवा से उद्भूत मामले	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्री रविशंकर भलावी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा

नोटः— उक्त न्यायिक अधिकारी जो कि धारा 164 दंप्रसं के कथन हेतु अधिकृत है, वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं या अवकाश पर हैं या अन्य किसी कारणवश से कथन लेन में असमर्थ है तो आगे का प्रभारी **अनुसुची कमांक "01"** के अनुसार (संबंधित आरक्षी केंद्र के प्रभारी न्यायालय को छोड़कर) माना जावेगा।

नोट कमांक 02:— महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की **धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354—क, 354—बी, 366, 366—ए, 366—बी, 376—ए से 376—डी, 493, 498, 498—ए एवं 509 तथा अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 एवं अन्य महिला संबंधी अपराध से** संबंधित प्रकरणों जो केवल महिलाओं के विरूद्ध

किए जा सकते हैं उनमें धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से, दर्शित आरक्षी केंद्र के अनुसार कथन लिए जाने हेतु कार्यभार सौंपा जाता है:–

क्रं.	**आरक्षी केंद्र**	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**
1.	कोतवाली, धनगांव, मोघट रोड, अजाक एवं पिपलौद	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र. श्रे. खंडवा
2.	छैगांवमाखन, पंधाना, जावर, पदमनगर, जी. आर.पी एवं महिला पुलिस थाना	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि. प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र. श्रे. खंडवा
3.	नर्मदानगर /मुंदी	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र. श्रे. खंडवा
4.	मांधाता, आबकारी वृत्त/खण्डवा यातायात/ वन परिक्षेत्र खण्डवा /श्रम विभाग खण्डवा से उद्भूत मामले	श्रीमती स्मृति सोनी, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा

नोट:–उपरोक्तानुसार धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु यदि तृतीय प्रभारी भी उपलब्ध नहीं है, तो आगे का प्रभार **(संबंधित आरक्षी केंद्र के प्रभारी न्यायालय को छोड़कर) अनुसूची कमांक "01"** प्रभार अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के समक्ष अंकित कराए जा सकेंगे।

नोट कमांक 03 : महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामलों को छोड़कर) तहसील न्यायालय हरसूद में कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों **किल्लौद, हरसूद एवं खालवा** के सम्मुख दर्शित कॉलम नंबर 03 के न्यायिक अधिकारीगण धारा 164 दं.प्र. सं. के कथनों को लेखबद्ध किये जाने हेतु कमानुसार प्रभारी रहेंगे।

क्रं.	**आरक्षी केन्द्र**	**न्यायिक अधिकारीगण का प्रभार**
1	2	3
1	किल्लौद/हरसूद	1–श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. हरसूद 2–श्री जगत प्रताप अटल, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3–श्री उद्यजीत कुंवर राव, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा
2	खालवा	1–श्री जय प्रताप चिडार, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 2–श्री रविशंकर भलावी,न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा 3–श्री उद्यजीत कुंवर राव, न्यायिक मजि.प्र.श्रे. खंडवा

नोट:–1. तहसील न्यायालय हरसूद में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदस्थ नहीं होने से आरक्षी केन्द्रों किल्लौद, हरसूद एवं खालवा के **महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों** से उद्भूत भारतीय दंड संहिता की **धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354–क, 354–बी, 366,**

366–ए, 366–बी, 376–ए से 376–डी, 493, 498, 498–ए एवं 509 तथा अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम सन् 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 एवं अन्य महिला संबंधी अपराध से संबंधित प्रकरणों जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किए जा सकते हैं उनमें धारा 164 दं.प्रस. के कथन लिए जाने हेतु श्री महादेव पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद जिला खण्डवा कार्यभार सौंपा जाता है तथा वे यदि मुख्यालय से बाहर हैं या अवकाश पर हैं या अन्य किसी कारण से कथन लेने में असमर्थ हों तो उपरोक्तानुसार धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु आगे का प्रभार **अनुसूची कमांक "02"** के प्रभार अनुसार महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के समक्ष अंकित कराए जा सकेंगे। यदि **अनुसूची कमांक "02"** के प्रभार अनुसार सभी महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश/मुख्यालय से बाहर होने की दशा में **अनुसूची कं. '1'** के प्रभार अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के समक्ष कथन अंकित कराए जा सकेंगें।

2– इस आदेश के निर्वाचन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा को संदर्भित किया जावे।

10/04/24
(परमानन्द चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खंडवा (म.प्र.)

अनुमोदित।

Principal District and Sessions Judge
Khandwa (M.P.)

पृष्ठांकन क्रमांक 274/2024 **खंडवा, दिनांक 13.04.2024**

प्रतिलिपि–

1– कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा एवं हरसूद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
4– कार्यालय कलेक्टर, जिला खंडवा की ओर प्रेषित।
5– पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
6– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा/पुनासा/हरसूद/श्रृंखला न्यायालय मांधाता जिला खण्डवा सूचनार्थ प्रेषित।
7– वन मंडलाधिकारी, वन विभाग खंडवा म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।
8– जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, खंडवा म.प्र.।
9– उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
10– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
11– प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
12– जे.एस.ए. जिला खण्डवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करे।

13/04/24
(परमानन्द चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)